रिव्यू पीटिशन क्रमांक :

प्रस्तुति दिनांक :

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

1) आशिक अली पिता मसीद अली

2) इम्त्याज अली पिता मसीद अली

3) मेहराज अली पिता मसीद अली

4) अनवर अली पिता मसीद अली

समस्त निवासीगण - कालीखेडी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)

... प्रार्थीगण/अनावेदकगण

विरूद्ध

1) रईस एहमद पिता निसार एहमद

2) नफीस एहमद पिता निसार एहमद

3) इकबाल एहमद पिता निसार एहमद

4) अबरान एहमद पिता निसार एहमद

5) इरशान एहमद पिता निसार एहमद

6) नसीम बी पुत्री निसार एहमद

7) शमशाद बी पुत्री निसार एहमद

8) मुनव्वबी विधवा मुश्ताक एहमद

9) कामिल एहमद पिता मुश्ताक एहमद

10) जमीर एहमद पिता मुश्ताक एहमद

11) आदिल एहमद पिता मुश्ताक एहमद

12) अफजल एहमद पिता मुश्ताक एहमद

-2पर

रिव्यू 1477-15

13) फाजिल एहमद पिता मुश्ताक एहमद

14) कौसरबी पुत्री मुश्ताक एहमद

समस्त निवासीगण - ग्राम पिपलोनकलां

तहसील आगर जिला शाजापुर

... प्रतिप्रार्थीगण/आवेदकगण

रिव्यू अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता (रिव्यू पीटिशन)

इसमें प्रार्थीगण श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. के निगरानी प्रकरण क्रमांक 581-दो-15 में पारित आदेश दिनांक 30/04/2015 से असंतुष्ट होकर रिव्यु निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1477-एक/15 जिला - शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-5-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 581-दो/15 में पारित आदेश दिनांक 30-4-2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । आवेदक द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रकरण में जिन सूचनापत्रों के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, वे सूचनापत्र किस पर तामील हुये व किसने नोटिस लेने से इंकार किया इसका खुलासा नहीं है । इस संबंध में मूल प्रकरण में भेजे गये सूचनापत्रों का अवलोकन किया गया । सूचनापत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सूचनापत्र आवेदकों द्वारा लेने से इंकार करने की टीप के साथ प्राप्त हुए हैं, सूचनापत्र पर तामील कराने वाले भृत्य के हस्ताक्षर हैं तथा गवाहों के भी हस्ताक्षर हैं, ऐसी स्थिति में उन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं होने से उक्त सूचनापत्रों के आधार पर आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया एवं तदुपरांत अनावेदक के तर्क सुने जाकर आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदकों की ओर से दिया गया उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । वैसे भी निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन विचारार्थ ग्राह्य किया जा सकता है :- 1- नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3- कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	